राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9664/2024	1(a)	छतरपुर	रॉकफास्फेट खदान	ToR अनुशंसित नहीं	निरस्त
2.	P2/1157/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/2240/2025	1(a)	बड़वानी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/2241/2026	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर ख्दान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/2244/2026	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1057/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	10973/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1846/2025	1(a)	ग्वालियर	मुरूम एवं पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1923/2025	2(b)	जबलपुर	आयरन ऑर वेनिफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
10.	9611/2023	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1778/2025	1(a)	सिवनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

12.	P2/1818/2025	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	11135/2023	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
14.	P2/334/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/328/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P2/332/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	2689/2015	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
18.	P2/1716/2025	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1819/2025	1(a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	9912/2023	7(da)	राजगढ़	कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/415515/2023, Case No 9664/2024Prior Environment Clearance for Phosphate Mine (Open cast Semi-mechanised method), in an area of 13.20 ha. for production capacity of expansion 100000 TPA to 200000 TPA, at Khasra No. 1008, 1007, 1005/1, 1005/2, 1006, 1003/1, 1003/2, 1002, 1001, 984, 979, 980, 978, 975, 1028/9, 1028/10, 1028/11 & 1028/12, Village-Luhani, Tehsil-Bakswaha, District-Chhatarpur (MP) by Shri Nitish Chaturvedi, Owner, R/o 6 Km Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> *" The case was scheduled for the presentation wherein it was observed by committee that PP vide letter dated 30/06/2025 has submitted a request for withdrawal of their application. Committee after deliberations decided that on the request of PP case may be considered for withdrawal and same may be sent to SEIAA for onward necessary action."*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण को परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष Withdraw किये जाने हेतु किये गये आवेदन एवं SEAC की 806वी बैठक दिनांक 30.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/560929/2025, Case No.P2/1157/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.25 ha., for production capacity of Stone (Gitti) 1,250 Cum per annum & M Sand 23,750 Cum per annum, at Khasra No. 389/2/2, 389/3, 385/1, Village Morukhedi, Tehsil Ujjain & District Ujjain (M.P.) by M/s. Patwala Minerals and Mines Pvt. Ltd., Partner, Shri Rahul Patwala, R/o- 72 Sukh Niwas Rau Rangwasa, District- Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **867वी बैठक दिनांक 07.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 2640 दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह **चौहान**)
अध्यक्ष

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/544188/2025, Case No. P2/2240/2026Prior Environment Clearance for Murram Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.000 ha. for production capacity of 4,000 m³ /year, at Khasra No. – 224/1, Village- Pipri, Tehsil- Thikri, District- Barwani (M.P.) by Shri Afjal Khan, R/o- 201, Dharampuri Road Sala, ward kramank 08, Sala khalghat, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar, M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866वी बैठक दिनांक 05.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी द्वारा आदेश क्र. 859 दिनांक 07. 11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/565652/2026, Case No. P2/2241/2026 Prior Environment Clearance Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.300 Ha. for production capacity of Stone-10,000 M3/Year & M-Sand-15,080 M3/Year, at Khasra – 142, Village - Basali Raiyat, Tehsil – Khaknar, District – Burhanpur (M.P) by Smt. Reena Amar Chouksey Owner Makan No 1-1 ward No 43, Lalbag durga mata mandir ke pass Burhanpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866वी बैठक दिनांक 05.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर द्वारा आदेश क्र. 483 दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

5. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/561242/2025; Case No.: P2/2244/2026 Prior Environmental Clearance for obtaining Environmental Clearance for proposed Educational Project of "Sagar Public School" at Plot No.- P-1 and P-12 of BDA, Phase-1 at Village Misrod, Tehsil Kolar, Dist. Bhopal (M.P.). The proposed Site of 9630 sq. mt. , Built-up Area- 28,055.94 sq. mt. by Shri Siddharth Agrawal, Director, M/s Shri Agrawal Educational & Cultural Society, E-8 Extension, Rohit Nagar, Bawadiya Kalan, Bhopal (M.P.) – 462039.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित शैक्षणिक परिसर परियोजना मेसर्स **Shri Agrawal Educational & Cultural Society** द्वारा **"Sagar Public School"** के निर्माण हेतु प्रस्तावित है, जो **Plot No.- P-1 and P-12 of BDA, Phase-1,** ग्राम मिसरोद, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। उक्त प्रस्ताव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, निदेशक, **M/s Shri Agrawal Educational & Cultural Society, E-8 Extension, Rohit Nagar, Bawadiya Kalan, Bhopal (M.P.) – 462039** द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्रफल (**Total Plot Area**) **9630** वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (**Built-up Area**) **28,055.94** वर्गमीटर है जो **1,50,000.00 sq.m** से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना शैक्षणिक (**Educational**) उपयोग के लिए है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **866**वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. **16** से **29** तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project Name/Activity	Prior Environmental Clearance for obtaining Environmental Clearance for proposed Educational Project of "Sagar Public School" at Plot No.- P-1 and P-12 of BDA, Phase-1 at Village Misrod, Tehsil Kolar, Dist. Bhopal (M.P.). **Shri Siddharth Agrawal, Director, M/s Shri Agrawal Educational & Cultural Society,** E-8 Extension, Rohit Nagar, Bawadiya Kalan, Bhopal (M,P.) – 462039. Cat. - 8(a). Building and Construction projects.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	Project Cost.	5146.2498 Lakhs.
3.	Description of Project	The proposed development of School i.e. Sagar Public School (SPS) is in accordance with the Master Plan of Bhopal and as per the MP Bhumi Vikas Adhiniyam 2012. The proposed site of 9630 sq mtrs at Plot no P-1 and P-12 of BDA , Phase-1 at Village Misrod , Tehsil Kolar Dist Bhopal (MP) has owned by the proponent and project has already approved by T & CP. It will be developed as per approval of T&CP/BMC after obtaining environmental clearance.
4.	SPCB Comments/ CTE details.	Outward No:124369,24/12/2025 Consent No:CTE-63576
5.	Land Registration details.	R-02072500939342 dt. 02-07-2025. Land Allotment – Bhopal Development Authority (BDA Bhopal)
6.	Lat./Log. (as per Conceptual Plan).	23° 10'2.46"N, 77°26'54.19"E
7.	Hight as per Conceptual Plan.	29.55 M.
8.	Building Permission details.	Proposal Number: PMT/BHO/0269/02551/2025 dt. 07/11/2025.
9.	T&CP Permission details.	Letter No. BPLLP - 04082513185 dt. 24/10/2025.
10.	MSW NOC details.	Letter No. 172 /Health Deptt/BMC/Bhopal dt. 19/11/2025.
11.	Sewage NOC details.	Letter No. 656 /AE/Sewage Cell /BMC/Bhopal dt. 13/11/2025.
12.	Water NoC details.	Letter No. 36 /Zone-13/BMC/Bhopal dt. 16/05/2025.
13.	Parking Proposed Area:	6286.64 SQM.
14.	Number of vehicle to be parked	Basement -100 No. Ground - 46 No.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15.	Total Water Balance.	Total water requirement :127.5 KLD Total Flushing water requirement :43 KLD Total waste water generation :112.71 KLD Total treated water available :101.44 KLD Total Fresh waters requirement :127.5 – 43 - 8= 76.5 KLD Total Horticulture waterrequirement :8 KLD Excess treated water available :101.44 – 43 - 8 = 50.44 KLD
16.	RWH	4 Pits.
17.	DG set capacity	160 KVA of DG set.
18.	Environmental Consultant	Shri Umesh Mishra, Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.). Valid up to 22/ 03/2026.

A.	Total Plot Area	9630 sqm
B.	Less Plot Area under coordination Road	NA
C.	Net Plot Area	9630 sqm
D.	Permissible Ground Coverage (30% of C)	30%
E.	Proposed F.A.R. Ground Coverage	2889 sqm
F.	Permissible F.A.R. (1:2.0 of C)	2
G.	Proposed F.A.R.	1.49
I.	Open Area Permissible (Min.) 10% Open Area Proposed	 4129
J.	Services Area STP & Collection Tank Rainwater Harvesting Well Service Block (Substation, DG Set, etc.)	 150 KLD 4 DG Set-160 KVA, Transformer-315 KVA
K.	Permissible Height	30
L.	Road & Circulation	2638 sqm
M	Width of Internal Road	6 m
O	Width of approach road	30m
	Front MoS	12m
	Rear MoS	7.5m
	Height of Building	29.55
	Number of block	1

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 943वीं बैठक दिनांक 09.03.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **Proposal No.SIA/MP/MIN/556513/2025, Case No. P2/1057/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for production capacity of Stone (Gitti) 30,000 m³/year & M-sand 20,000 m³/year, at Khasra No. – 1836, 1837, 1838 & 1839/2, Village- Deori Khawasa, Tehsil Manasa, District- Neemuch (M.P.) by Shri Sanidhya Porwal, Partner, M/s Dev Shree Stone Crusher, R/O – Vill.-Antri Buzurg, Dist: - Neemuch (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा आदेश क्र. 901 दिनांक 26.06.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/534941/2025, Case No. 10973/2023Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.880 ha., for production capacity of Stone – 49,800 cum per year & M-Sand 10,200 cum per year, at Khasra No. 59, Village AkyaNajik, Tehsil-Nagda, District Ujjain (MP) by Shri Sachin Patni, Partner, M/s S and S Stone Crusher, Chhota Bazar, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 1346 दिनांक 30. 05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. **Proposal No.SIA/MP/MIN/544689/2025, Case No. P2/1846/2025Prior Environment Clearance for Murum & Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha, for production capacity of Murram - 5,000 Cubic Meter Per Annum & Stone making for M-Sand – 20, 000 Cubic Meter Per Annum, at Khasra No. - 154/2/Min-2, Village - Bhimbada, Tehsil - Chinor, District – Gwalior (M.P.) by M/s Smt. Seema, C/o Shri Rahul, Gram Chinor Post Chinot Distt- Gwalior (M.P.)- 475110**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8804 दिनांक 13.08.2024 एवं पत्र क्र. 11637–39 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. **Proposal No. SIA/MP/IND1/547920/2025; Case No.- P2/1923/2025. Prior Environmental Clearance for phase-I from 0.55 MTPA to 0.66 MTPA Expansion, (water requirement per tonne of concentrate will increase from 0.28m3/t to 0.39 m3/t) to M/s. 4MANN Industries Private Limited operates an existing Iron Ore Beneficiation Plant (0.55 MTPA) located at Hargarh Industrial Estate, Village Hargarh, Tehsil Sihora, District Jabalpur, Madhya Pradesh by Shri Anant Kumar Nikunj, Vice President- Operations, M/s 4MANN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, C/5 gala & Sethia Enterprise Building 3rd Floor, Road No, 11, MIDC, Andheri (East), Mumbai (Maharastra) - 400069(Qry Reply).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश **पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में** निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

Online Parivesh Portal **पर** प्रस्तुत प्रकरण की भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी "पर्यावरणीय स्वीकृति" की Certified Compliance Report के **साथ उल्लेखित** Annexures **संलग्न नहीं** किए गए हैं, जिसके कारण प्रस्तुत तथ्यों की **पुष्टि किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा संबंधित Certified Compliance Report **में उल्लेखित सभी संलग्नक स्पष्ट रूप से क्रमांकित** (with proper numbering) **के साथ 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/413562/2023 Case No. Case No.- 9611/2023Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha., for production capacity of Stone 18,998.1 M3/Year, at Khasra No. 2/1/1 and 2/2, Gram Pipaliyagoli, Tehsil – Goharganj, Distt. Raisen (M.P.) by M/s. Maa Rewa Enterprises Shri Deepak Agrawal, Ward No. 11, Kasturva Ward, Teh Pipariya, Pipariya, Hoshangabad, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं एवं 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन द्वारा आदेश क्र. 2727 दिनांक 23.11.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.11.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/534275/2025, Case No P2/1778/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 1.720 ha. for Production of Capicity 50,000 TPA at Khasra No. 152 Village: Bawli, Tehsil: Kurai, District: Seoni (M.P.) by Shri Nirmala Thakur, R/o Shastri Ward Barapathar, District Seoni (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 एवं 747वी बैठक दिनांक 02.05.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक को उक्त लीज वर्ष 1995 से स्वीकृत होकर संचालित है जो कि वन क्षेत्र (RF 334) की सीमा से 34 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ वन विभाग का पत्र क्र. एफ 5/16/81/10–3 दिनांक 07.10.2002 संलग्न कर लेख किया गया है कि पूर्व से स्वीकृत खदानों पर संभागीय आयुक्त की अनुशंसा अनिवार्य नहीं है।

राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन दिनांक 20.06.2025 को किया गया है जिसके दृष्टिगत वर्तमान नियमानुसार संभागीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/543798/2025 Case No P2/1818/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area 2.410 ha., for Production of Capicity 19,950 Cubic Meter/Year, at Khasra No - 47, Village-Bhojakhedi,, Tehsil-Khandwa, District- Khandwa, (M.P.). by Shri Rakesh Bansal S/o Shri Kachrumal Bansal R/O- Om Niwas House No-13 Madhavlal Laxminarayan, Marg, Ramkrishan Ganj Ward No-18, Purani, Anaj Mandi Ke Piche ,District-, Khandwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक 10.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 30.06.2018 के माध्यम से दिनांक 12.12.2027 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त इन्दौर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11/10/2023 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेंचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के **रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/518550/2025 Case No. 11135/2023 Prior Environment Clearance for Dolomite Mining (opencast semi mechanized method), in an area of 1.41 ha., for Production of Capicity 23790 MT/year, at Khasra No. 105, VillageBhatiyatola, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP). by Shri Balaram Agrawal, Director, M/s Hanuman Mines & Minerals Private Limited, R/o 212, Arihant Complex, Station Road, District Raipur (GC)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी** बैठक दिनांक **10.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. **परियोजना प्रस्तावक को उक्त लीज वर्ष 1995 से स्वीकृत होकर संचालित है जो कि वन क्षेत्र की सीमा से 24 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ वन विभाग का पत्र क्र. एफ 5/16/81/10–3 दिनांक 07.10.2002 संलग्न कर लेख किया गया है कि पूर्व से स्वीकृत खदानों पर संभागीय आयुक्त की अनुशंसा अनिवार्य नहीं है।**
2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता समाप्त हो गई है।**

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन दिनांक 16.01.2025 को किया गया है जिसके दृष्टिगत वर्तमान नियमानुसार संभागीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा एवं नवीन अनुमोदित खनन योजना 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/520669/2025 Case No P2/334/2024 Prior Environment Clearance for Dhaur-3 River Sand Mine, in area 18.230 Hectare., for Production of Capicity - 42814 cum per annum , at Khasra No.- 1, 2, 12, 45, 67, in Village - Dhaur - 1, Tehsil - Mihona, District - Bhind (MP) by Shri Ramakant Pandey, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

The query reply is found satisfactory, however the Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/520717/2025 Case No P2/328/2024 Prior Environment Clearance for Dhaur-3 River Sand Mine, in area 11.680 Hectare For Producation Capicity 33024 cum per annum, at Khasra No.- 245, 246, 251, in Village - Dhaur-2 , Tehsil - Mihona, District - Bhind (MP) by Shri Ramakant Pandey, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

The query reply is found satisfactory, however the Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/520830/2025 Case No.- P2/332/2024 Prior Environment Clearance for Dhaur-3 River Sand Mine, in area15.850 Hectare, For Producation Capicity of – 39,000 cum per annum at Khasra No.- 247, 290, in Village - Dhaur-3, Tehsil - Mihona, District - Bhind (MP). by Shri Ramakant Pandey, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan,Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 868वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study.

The query reply is found satisfactory, however the Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/556518/2025, Case No. 2689/2015 Prior Environmental Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for production capacity of 5000 cum per annum, at Khasra No.532, at Village-Salhe, Tehsil-Kirnapur, District Balaghat (M.P.) by Shri Chandrashekhar Motghare R/o Viviekanand nagar, Tumsar District Bhandra (MH) Regarding transfer of EC in the name of Smt. Seema S Saraswar, Lessee , Ward No.- 27 Circut House Road Balaghat (MP).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **851वी बैठक दिनांक 12.12.2025** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 931वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय–सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।*
2. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC में प्रस्तुत प्रत्येक छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन की पावती रसीद भी अपलोड नहीं की गई है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 एवं 2 की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक **23.02.2026** के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परिवेश पोर्टल पर एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri Chandrashekhar Motghare R/o Viviekanand nagar, Tumsar District Bhandra (MH)** के नाम **Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for production capacity of 5000 cum per annum, at Khasra No.532, at Village-Salhe, Tehsil-Kirnapur, District Balaghat (MP)** की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **Smt. Seema S Saraswar, Lessee , Ward No.- 27 Circut House Road Balaghat (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. उपरोक्त पर्यावरणीय **स्वीकृति पत्र क्र. 3762–63** दिनांक 16.07.2015 एवं हस्तांतरण पर्यावरणीय स्वीकृति **पत्र क्र. 1784–85** दिनांक 17.07.2020 में निहित विशिष्ट एवं **साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा** पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय **कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाअ के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 41 दिनांक 10.01. 2025 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वेधता दिनांक 13.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति **में निहित** समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित **किया जाये** एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 **एवं** कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार **शर्तों** का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया **जाये** एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु **परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

18. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518162/2025, Case No. –P2/1716/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.430 ha., for Production Capacity of 7368 cum per annum. at Khasra No. 109, 107/2 & 108/2, Village-Jonhi, Tehsil - Huzur, District-Rewa (M.P.) by Smt. Bharti Tripathi, C/O Sanjay Tripathi, R/o House no. 3018, ward no. 04 padranaibasti, Huzur, Rewa Madhya Pradesh 486001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 एवं 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 937वी बैठक दिनांक 10.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल इमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान श्री शंकर दत्त रकबा 1.868 हेक्टेयर, मेसर्स कलपेश स्टोन क्रेशर रकबा 1.983 हेक्टेयर एवं श्री संजीव मिश्रा रकबा 1.20 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.481 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुददों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर रीवा प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 860वी बैठक दिनांक 13.01.2026 एवं 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 7991–94 दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **रेल्वे लाईन से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के **रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 943वी बैठक दिनांक 09.03.2026 का कार्यवाही विवरण

19. Proposal No.SIA/MP/MIN/543185/2025, Case No. P2/1819/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.150 ha., for Production Capacity of Stone– 19,950 cum per year, at Khasra No. 55/1, 55/2, 56/2, at Village- Goradiya, Tehsil-Pandhana, District- Khandwa (M.P.) by Shri Nagin Bansal R/o- House no-13, Madhav Lal Lakshminarayan Marg Ramkrishan Ganj ward no-18, purani anaj mandi ki pichhe, District- Khandwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **852वी बैठक दिनांक 13.12.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 938वी बैठक दिनांक 16.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

'' .....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण में ADS के माध्यम से प्राप्त जानकारी कलेक्टर जिला खण्डवा से अनुमोदित नहीं है और न ही उक्त खदान का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किया गया है। PM गतिशक्ति पोर्टल पर खनिज विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री भागचंद नेभनानी की खदान एकबा 2.85 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित है जबकि एकल प्रमाण पत्र में उक्त खदान 2.60 हेक्टेयर की होना बताई गई है दोनो में विरोधाभाष है।

अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला कलेक्टर खण्डवा से 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से लीज की दिनांक 20.08.2028 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन **कार्य शुरू करने से** पहले कृषि भूमि से **न्यूनतम 25 मीटर** तक "नो माईनिंग जोन" के **रूप में हरित क्षेत्र** विकसित किया जायेगा **एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/525087/2025; Case No.: 9912/2023, Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5, Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) by Smt. Pramila Sharma, Director, House No. -8, 5 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.) 462026. (EIA) Query Reply.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 826 वी बैठक दिनांक 09.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मैसर्स पृथ्वी इको केयर द्वारा सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए प्रस्तावित 200 किलोग्राम प्रतिघंटे की क्षमता वाले **Common Bio-Medical Waste Treatment Facility** की स्थापना खसरा संख्या–36/5, ग्राम तूतीपुरा, तहसील एवं जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में लगाने हेतु श्रीमती प्रमिला शर्मा, निदेशक, हाउस नंबर–8, 5 विनय ग्रह, निर्माण सोसायटी, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. उक्त प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत 7 (da) में सम्मिलित किया गया है।
3. SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 07 से 13 पर अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Equipment	Number	Installed Capacity
1	Incinerator	Nos.	200 kg/hr.
2	Auto clave	1Nos.	1000 liter /batch
3	Shredder	1Nos.	100 kg/hr.
4	Effluent Treatment Plant	1Nos.	7.5 KLD

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 943वीं बैठक दिनांक 09.03.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न बिंदु i से xvii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i) जैव अपघटनीय ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण हेतु परियोजना परिसर में कम्पोस्टिंग/वर्मी–कम्पोस्टिंग की व्यवस्था स्थापित कर उसका संचालन सुनिश्चित किया जाए।

ii) परियोजना से उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार हेतु एसटीपी (STP) का निर्माण कर उसका संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा उपचारित जल का पुनः उपयोग हरित क्षेत्र विकास एवं अन्य अनुमेय कार्यों में किया जाए।

iii) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के संशोधित प्रावधानों और समय–समय पर सीपीसीबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

iv) ETP को बढ़ी हुई क्षमता अनुसार उन्नत किया जाए एवं treated water norms का पालन किया जाए।

v) Stack emission norms, online continuous emission monitoring system (OCEMS) स्थापित किया जाए।

vi) No overflow/mixing of municipal waste with biomedical waste.

vii) BMW प्रबंधन से संबंधित 6 मासिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाए।

viii) संयंत्र संचालन के दौरान तापमान, दबाव एवं उत्सर्जन के स्तरों की नियमित निगरानी की जाएगी तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जा सकें।

ix) नियमित अंतराल पर ड्रेन वॉल्व की सफाई की जाए तथा संपूर्ण पाइपलाइन एवं कनेक्शन में किसी भी प्रकार के लीकेज की जांच कर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

x) सभी वॉल्व, प्रेशर गेज एवं संबंधित मॉनिटरिंग उपकरणों का कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार अधिकृत एजेंसी द्वारा कैलिब्रेशन किया जाए और उसका रिकॉर्ड परियोजना स्थल पर सुरक्षित रखा जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

xi) परियोजना स्थल पर फायर सेफ्टी प्रणाली एवं स्पिल मैनेजमेंट प्लान आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें तथा इनके संचालन, रखरखाव एवं नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

xii) प्लांट के चारों ओर तीन कतार में सघन वृक्षारोपण किया जावें।

xiii) प्लांट के सामने रोड पर किसी भी प्रकार का परिवहन प्रभाव, प्लांट गतिविधियों द्वारा न पड़े।

xiv) प्लांट हेतु जैव अपशिष्ट के परिवहन में संपूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पर्यावरण नियमों का पालन कड़ाई से किया जावें।

xv) जैव अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें।

xvi) CBWTF का कार्यक्षेत्र का निर्धारण MPPCB द्वारा किया जावेगा जो कि बंधनकारी होगा।

xvii) अपशिष्ट की राख एवं ETP के बीच का अंतिम निष्पादन प्राधिकृत TSDF में ही किया जावेगा। जिसका लेखा भी रखा जावेगा। परिवाहन एवं निष्पादन की सूचना MPPCB को दी जावेगी।

xviii) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट Incinerator एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊँचाई पर्याप्त रखी जावे।

xix) ETP के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।

xx) परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।

xxi) पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे, साथ ही दुर्गंध के निवारण हेतु सक्षम नियंत्रण उन्नत तकनीकी से किया जाये।

xxii) यह परियोजना ईकाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है इस कारण CETP की सुविधा न होने के कारण इकाई में Zero Liquied Discharge के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

xxiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

xxiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 में भूजल दोहन हेतु निहित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य के पूर्व अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

xxv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यस्थल पर इंसीनेटर के तापमान का डिस्प्ले कर उक्त तापमान का रिकार्ड अद्यतन रखा जावेगा।

xxvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा CBWTF से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ठ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट से उत्सर्जित स्लज को मिलाकर अपवहन TSDF के माध्यम से किया जाये। परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं डाला जावे।

xxvii) प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.

7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC

    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

परिशिष्ट–2

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तें:

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
3. ZLD status shall be maintained all the time.
4. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
5. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
6. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
7. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
8. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
9. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
10. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
11. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
12. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
13. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
14. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
15. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.

16. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.
17. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.
18. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.
19. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
20. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.
21. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
22. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.
23. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.
24. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.
25. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.
26. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.
27. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.
28. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.

29. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

30. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

31. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.

32. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.

33. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

34. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.

35. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.

36. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.